

30-10-17

अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष  
उपस्थित । प्रथम पक्ष गवाही कुशल तैली  
से परिनिष्ठा एवं प्रतिपरिनिष्ठा लिया गया  
तथा गवाही से उक्त किया गया । प्रथम  
पक्ष गवाही बन्द की जाती है दिनांक  
पक्ष गवाही हेतु दिनांक 17-11-17 को  
रखे ।

*[Signature]*  
30/11/17

17-11-17

जीलानि पदाधिकारी अवकाश पर ।  
दिनांक 27-11-17 को रखे ।

27-11-17

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पक्ष  
उपस्थित दिनांक पक्ष उपस्थित । उक्त वाद  
में 6 (6) माह की अवधि पूर्ण है उकी  
है अर्थात् वाद कालबाधित होगया है । अतः  
वाद में अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती  
है ।

*[Signature]*  
27/11/17  
कार्यपालक दण्डाधिकारी  
(राँची)